न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/33/2014	2014/110	18.09.2014	26–04–2022

1. टुण्डा राम पुत्र सम्पत।

2. मूला पुत्र सम्पत जाति मीना, निवासी दानपुर, तहसील रैणी, जिला अवलर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 02/2014 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री मनमोहन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 02/2014 जिसके द्वारा संवत 2071 में ग्राम दानपुर की आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.30 है0 किस्म चारागाह में अतिक्रमित रकबा 0.30 है0 में फसल खरीफ में ढांचा काश्त किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार रैणी के आदेश 11.09.2014 अपीलान्ट को बगैर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए ही एक तरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ईंटोली द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश रिपोर्ट अनुसार संवत 2071 खरीफ फसल में आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम दानपुर पर ढेंचा बोकर अतिक्रमण किया

26.04.2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

गया है। जिस पर तहसीलदार ने राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी 25.07.2014 दी गई। जिससे जाहिर है कि टुण्डाराम व मूला एक ही व्यक्ति है जबकि टुण्डाराम व मूला दो व्यक्ति हैं। दोनों को अलग–अलग नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जिसमें अपीलान्ट ने कहा कि उसका चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं ग्राम रैणी एवं परवैणी व दानपुर की सीमाऐं एक–दूसरे से मिली हुई है और चारागाह का रकवा है जो सीमा पर पडता है। अपीलान्ट व अन्य लोगों ने कई बार तहसील में उपस्थित होकर निवेदन किया कि तीनों गांव की सीमा का निर्धारण करे। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2071 में आराजी खसरा न0 01 रकवा 0.30 है0 ढेंचा फसल बोने की है। उसमें अपीलान्ट ने इससे पूर्व किस संवत में अतिक्रमण किया अंकित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस अपीलान्ट को दिया गया। अपीलान्ट जब 25.07.2014 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तो आगे सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी गई। अपीलान्ट को बगैर सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिए ही प्रकरण को गैरकानूनी रूप से धारा 91(3) भू0 राजस्व अधिनियम में कन्वर्ट करते हुए आदेश पारित कर दिया गया जो कार्यवाही गैरकानूनी व न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के संबंध में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है कि अपीलाधीन आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है और अब हमारा अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में हम कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अपीलान्ट एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है। इस समय काश्त का समय है। अगर मुकामी पुलिस ने इस आदेश के मुताबिक अपीलान्ट को गिरफ्तार कर लिया तो अपीलान्ट बर्बाद हो जायेगा। अपीलान्ट के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायाल के आदेश दिनांक 11.09.2014 को निरस्त फरमावें।

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट संवत 2071 बाके ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकवा 0.30 है0 किस्म चारागाह फसल खरीफ ढेंचा बोकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जवाब में दिनांक 25.07.2014 को कथन किया गया कि मिन अपीलान्ट आराजी खसरा न0 01 रकवा 0.30 है0 पर करीब वर्ष 1990 से लगातार सरकार को पैनल्टी देते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से लगती हुई आराजी है एवं पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक 14.05.2014 एवं फर्द मौका बेदखली दिनांक 14.05.2014 के द्वारा अपीलान्ट टुण्डाराम व मूला पुत्र सम्पत जाति मीना निवासी दानपुर तहसील रैणी को बेदखल किए जाने का अंकन किया हुआ है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 02.12.2014 बाके ग्राम दानपुर में भी आराजी खसरा न0 01 किस्म चारागाह भूमि से अतिक्रमण जे0सी0बी0 द्वारा हटाये जाने का अंकन किया हुआ है। इसी प्रकार पटवारी हल्का ईंटोली ने दिनांक 21.08.2014 को बयान दिए गए की ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.30 है0 पर फसल ढेंचा काश्त कर संवत 2071 में फसल खरीफ अतिक्रमी टुण्डा व मूला पुत्र सम्पत

26.5.2022

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

जाति मीना ने अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एंव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट का आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.30 है0 किस्म चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 11.09.2014 सही साबित होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 18.09.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)